प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन योजना के दिशा-निर्देश

1 **अनुदान का विवरण-**

पान की खेती 1500 वर्गमीटर में प्रति बरेजा निर्माण लागत की धनराशि रु0 1,51,360.00 का 50% धनराशि रु0 75.680.00 लाभार्थी कृषक को अनुदान/सहायता संलग्नक- 2 मद अनुसार अनुमन्य होगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि रु0 75.680.00 कृषक अंश होगा। जनपदवार पृथक-पृथक बरेजा निर्माण के निर्धारित भौतिक लक्ष्य के आधार पर 12 जनपदों में कुल 63 बरेजा का निर्माण कराया जाना है।

2 **लाभार्थियों का चयन-**

1. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये वेबसाइट www.upagriculture.com पर ऑन लाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के उपरान्त प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर लाभार्थी का चयन किया जायेगा।
2 कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी वर्ग के लाभार्थी पात्र होगें।
3 लाभार्थी के पास स्वयं का सिंचाई साधन होना अनिवार्य है।
4 पान की खेती में अभिरुचि रखने वाले कृषकों को वरीयता दी जायेगी।
5 आवेदन पत्र के साथ भू-अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6 लाभार्थी कृषक के पास स्वयं का बैंक खाता एवं मोबाइल/फोन न0 होना अनिवार्य है।
7 लाभार्थी के पास पहचान हेतु वोटर कार्ड/राशन कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट में से कोई एक उपलब्ध होना चाहिए।

3 प्रजातियां एवं निवेशों की व्यवस्थाः-

कार्यक्रम के अन्तर्गत पान की देशी, बंगला, कलकतिया, कपूरी, रामटेक, मघई, बनारसी आदि उन्नतशील प्रजातियों की खेती पर अनुदान अनुमन्य होगा। विभाग एक समन्वयक की भूमिका निभाते हुये निर्माण कार्य/निवेश की गुणवत्ता के मानक आदि को उपलब्ध कराते हुये उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का उपाय करेगा। लाभार्थी अपनी संतुष्टि के अनुसार सम्बन्धित उत्पादकों/संस्थाओं से आवश्यक निवेश स्वयं क्रय करेगा।

4 प्रचार-प्रसार भ्रमण/प्रशिक्षण गोष्ठी-

इस कार्यक्रम की सफलता के लिये आवश्यक है कि कृषकों को पान की खेती की तकनीकी जानकारी के लिये तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाये। तकनीकी जानकारी की सुलभता हेतु कृषकों को तकनीकी साहित्य भी दिया जायेगा। पान की खेती करने वाले कृषकों/लाभार्थियों के प्रक्षेत्रों की फोटो ग्राफी अवश्य करायी जाये।

प्रशिक्षण हेतु विभागीय शोध केन्द्रों पर चयनित जनपदों के चयनित लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण/गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा जिसमें पान शोध केन्द्रों के वैज्ञानिक, पान विशेषज्ञ, भारत सरकार की संस्थाओं के पान विशेषज्ञों को अवश्य बुलाया जाये। पान की खेती हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रचार-प्रसार हेतु साहित्य की व्यवस्था भी शोध केन्द्रों पर करायी जायेगी।

5 अनुदान धनराशि का भुगतान

अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से चयनित लाभार्थी/कृषक को उसके बैक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।

6 अनुश्रवण-

1. योजनान्तर्गत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति निर्धारित प्रारुप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशालय को उपलब्ध करानी होगी, जिससे समय से प्रगति सूचना निदेशालय स्तर से संकलित हो सके एवं उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करायी जा सके। वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रगति सूचना भेजते समय लाभार्थी सूची तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

2. कार्यक्रम की सफलता के लिये समय-समय पर कृषक प्रक्षेत्रों का निरीक्षण/सत्यापन, लाभार्थी कृषकों द्वारा पान बरेजा निर्माण में लगायी गयी सामग्री निर्धारित मानक की अनुरुपता तथा दिये गये अनुदान की प्रक्रिया आदि का सत्यापन जनपद स्तर पर जिला उद्यान अधिकारी, मण्डल स्तर पर उप निदेशक उद्यान द्वारा नियमित समीक्षा/निरीक्षण किया जायेगा। राज्य स्तर से भी निदेशालय उद्यान लखनऊ अथवा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर सत्यापन/निरीक्षण कार्य किया जायेगा।

प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु माह वार समय सारिणी

माह	कार्यक्रम
15 नवम्बर तक	योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये वेबसाइट wwwupagriculture.com पर ऑन लाइन पंजीकरण कराना होगा, इसके लिए जन सुविधा केन्द्र, कृषक लोकवाणी, साइबर कैफे आदि के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।
सितम्बर	
से	
नवम्बर तक	
	चयनित लाभार्थियों को निर्धारित शोध केन्द्र/ औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिलाये जाने का कार्य।

पान की खेती हेतु बरेजा निर्माण ***1500*** वर्गमीटर की अनुमानित लागत व देय अनुदान का विवरण

क्रम सं0	सामग्री का नाम	मात्रा संख्या	कृषक अंश	क्रम सं0
1.	बांस न0-1 (05 मी0 लम्बा 05 से0मी0 मोटा वाला)	800 बांस	0	24000
2.	बांस न0-2 (04 मी0 लम्बा 04 से0मी0 मोटा वाला)	600 बांस	0	15000
3.	सनौआ (04 सेमी0 व्यास)	200 बंडल	10000	0
4.	घास (दवाई हेतु 25 सेमी0 व्यास)	60 बंडल	3000	0
5.	गन्ना पत्ती	1.5 ट्राली	750	0
6.	बकोड़ा	10 बंडल	6000	0
7.	सागौन की बल्ली	20 बंडल	12000	0
8.	जी0आई0तार 12 गेज	15 किग्रा0	1350	0
9.	जी0आई0तार 20 गेज	20 किग्रा0	1700	0
10.	स्प्रेयर मशीन	01	1250	1250
11.	(दवा छिड़काव हेतु)	64 ढोली	11680	11680
12.	पान बेल कटिंग (ढोली)	100 किग्रा	2350	150
13.	उर्वरक/खली (किग्रा0)	तिल की खली	2000	0
14.	तालाब की काली मिट्टी (ट्राली में)	5 ट्राली काली मिट्टी	11500	11500
15.	सिंचाई हेतु इंजन	01 सैट	10000	10000
16.	अन्य व्यय (बरेजा निर्माण हेतु एग्रोनेट)		2100	2100
	रसायन/वृद्धि नियामक		75680	75680

<u>प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन योजनान्तर्गत</u>

प्रशिक्षण लाभार्थी चयन हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारुप

फोटो

1	कार्यक्रम का नाम जिसके अन्तर्गत लाभार्थी का चयन किया जाना है-	
2	लाभार्थी/ को-टेनेन्ट्स का नाम-	
3.	पिता का नाम-	
4.	लाभार्थी/ को-टेनेन्ट्स की श्रेणी-	
5.	(सामान्य वर्ग/लघु/सीमान्त/अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति)	
6.	लाभार्थी/ को-टेनेन्ट्स की शेक्षिक योग्यता एवं प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु अनुभव (यदि कोई हो)	
7	गांव का नाम-	
8.	विकास खण्ड का नाम-	1
9.	लाभार्थी/ को-टेनेन्ट्स के पास कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल (जो राजस्व अभिलेखों में उसके स्वयं के नाम दर्ज हो)	2
10.	कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित क्षेत्रफल (है0 में)	
11.	खसरा संख्या-	
12.	सिंचाई की उपलब्ध सुविधायें-	
13.	लाभार्थी द्वारा वर्तमान में उत्पादित फसलों का विवरण (कृषि फसलें/औद्यानिक फसलें)-	
14	लाभार्थी द्वारा वर्तमान में उत्पादित फसलों का विवरण (फल/शाकभाजी/मसाला एवं उनकी प्रजाति)	
15	लाभार्थी द्वारा चयनित कार्यक्रम के संचालन हेतु जारी दिशा-निर्देशों में अपेक्षित अन्य विवरण-	

संलग्नक-*1* जोतबही की प्रमाणित फोटोप्रति

2 अनुबन्ध पत्र

हस्ताक्षर कृषक

संस्तुति कर्ता

मैने प्रस्तावित कृषक की भूमि का निरीक्षण किया है, जो.....कार्यक्रम के लिये उपयुक्त है। आवेदन कर्ता के हस्ताक्षर एवं चयन की संस्तुति की जाती है:-

सम्बन्धित वि0ख0 के उद्यान निरीक्षक के हस्ताक्षर

जिला उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर

<u>प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन योजनान्तर्गत प्रशिक्षण</u>

शपथ-पत्र

(रु0 10/के स्टाम्प पेपर पर)

मैं शपथी ....आयु.........
..................................वर्ष,
पुत्र/पुत्री/पत्नी...निवासी-
ग्राम..डाकखाना......................... ....
.......................विकास
खण्ड............................तहसील.........................जनपद..शपथ पूर्वक
निम्न बयान करता हूं/करती हूं।

1. यह की प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन की योजनान्तर्गत प्रार्थी एक लाभार्थी है।
2. यह की प्रार्थी योजना के अन्तर्गत लिये गये कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूर्ण लगन एवं ईमानदारी से किया जायेगा तथा क्रियान्वयन हेतु निर्धारित दिशा- निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा। कार्यक्रम हेतु प्राप्त सहायता धनराशि का निर्धारित व स्वीकृति मदों में ही व्यय किया जायेगा।
3. यह की प्रार्थी उक्त कार्य निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार सम्पन्न न किये जाने अथवा धनराशि का दुरुपयोग होने की दशा में स्वयं उत्तरदायी होगा।
4. यह कि प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन की योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरुप कार्य सम्पन्न न होने पर प्राप्त अनुदान की धनराशि प्रार्थी द्वारा वापस की दी जायेगी।
5. यह की प्रार्थी द्वारा अनुदान की धनराशि वापस न करने पर जिलाधिकारी को प्रार्थी की चल-अचल से भू-राजस्व की भांति वसूली का आदेश होगा।

दिनांक................................ हस्ताक्षर..................................

नाम..

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथी उपरोक्त यह सत्यापित करता हूँ /करती हूँ कि शपथ-पत्र की धारा-1 से 5 तक सत्य एवं सही हैं। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान बनाकर सत्यापित किया।

दिनांक................................ हस्ताक्षर..................................

नाम..

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पान विकास योजना

1. योजना का नाम- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पान विकास योजना

2 योजना का उदद्श्य-

1. पान उत्पादको की आय की वृद्धि करके आर्थिक जीवन स्तर में सुधार लाना।
2. पान के उत्पादन में नवीन उन्नत तकनीकों को प्रोत्साहित करना।
3. पान की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि करना।
4. रोग एवं कीट नियंत्रण में वैज्ञानिक जैविक तरीकों को बढ़ावा देना।
5. ग्रेडिंग, पैकिंग भण्डारण, परिवहन एवं विपणन में सुधार लाना।
6. रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।
7. पान उत्पादकों को अन्य क्षेत्रों मे पलायन से रोकना।
8. प्रति इकाई क्षेत्र से अधिकाधिक आय एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
9. गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन के लिये संशाधनों में वृद्धि कराना।

3 आच्छादित जनपद-

उन्नाव रायबरेली, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, महोबा, ललितपुर, बांदा, आजमगढ़, हरदोई, लखनऊ, कानपुर नगर, अमेठी, प्रयागराज, सीतापुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र।

4. कार्यक्रम का नाम- पान बरेजा निमार्ण का कार्य।

5. अनुमन्य अनुदान मदवार- पान की खेती **1000** वर्गमीटर में प्रति बरेजा निर्माण लागत की धनराशि रु**0.1,00,906,00** का **50** प्रतिशत धनराशि रु**0.50,453.00** लाभार्थी कृषक को अनुदान/सहायता रुप से बैक खाते में देय है।

6. आवेदक की पात्रता शर्ते-

1. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये वेबसाइट www.upagriculture.com पर आन लाइन पंजीकरण कराना होग।
2. कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी वर्ग के लाभार्थी पात्र होगें। अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति एवं महिला लाभार्थियों को वरीयता दी जायेगी।
3. लाभार्थी के पास स्वयं का सिंचाई साधन होना अनिवार्य है।
4. पान की खेती में अभिरुचि रखने वाले कृषकों को वरीयता दी जायेगी।
5. आवेदन पत्र के साथ भू-अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. लाभार्थी कृषक के पास स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है।
7. लाभार्थी के पास पहचान हेतु वोटर कार्ड/राशन कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट में से कोई एक उपलब्ध होना चाहिए।
7. **अनुमन्य क्षेत्रफल/मात्रा/संख्या-**1000 **वर्ग मी0 क्षेत्रफल**

8–आवेदन कैसे करें- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये वेबसाइट upagriculture.com पर **ऑन** लाइन पंजीकरण कराना होगा, इसके लिए जनसुविधा केन्द्र, कृषक लोकवाणी, साइबर कैफे आदि के माध्यम से पंजीकरण करा सकता है।

9योजना के मार्ग निर्देश -

योजना के दिशा-निर्देश संलग्न है-

1. **<u>वित्तीय वर्ष</u>** 2019.20 **<u>के लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पान विकास योजना के दिशा-निर्देश-</u>**

2.पान की खेती हेतु प्रति 1000 वर्ग मीटर पान बरेजा निर्माण की लागत एवं बरेजा निर्माण हेतु लगने वाली सामग्री का मानक संलग्न किया जा रहा है (तालिकानुसार)

अनुदान का विवरण-

पान की खेती 1000 वर्गमीटर में प्रति बरेजा निर्माण लागत की धनराशि रु0-1,00,906,00 का 50 प्रतिशत धनराशि रु0-50,453.00 लाभार्थी कृषक को अनुदान/सहायता (तालिकानुसार) मद अनुसार अनुमन्य होगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि रु0. 50,453.00 कृषक अंश होगा। जनपदवार पृथक-पृथक बरेजा निर्माण के निर्धारित भौतिक लक्ष्य के आधार पर 21 जनपदों में कुल 341 बरेजा का निर्माण कराया जाना है।

लाभार्थियों का चयन-

1. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये वेबसाइट <u>www.upagriculture.com</u> पर **ऑन** लाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के उपरान्त प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर लाभार्थी का चयन किया जायेगा।
2. कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी वर्ग के लाभार्थी पात्र होगें।
3. लाभार्थी के पास स्वयं का सिंचाई साधन होना अनिवार्य है।
4. पान की खेती में अभिरुचि रखने वाले कृषकों को वरीयता दी जायेगी।
5. आवेदन पत्र के साथ भू-अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. लाभार्थी कृषक के पास स्वयं का बैंक खाता एवं मोबाइल/फोन नम्बर होना अनिवार्य है।
7. लाभार्थी के पास पहचान हेतु वोटर कार्ड/राशनकार्ड/आधारकार्ड/पासपोर्ट में से कोई एक उपलब्ध होना चाहिए।

प्रजातियां एवं निवेशों की व्यवस्थाः-

कार्यक्रम के अन्तर्गत पान की देशी, बंगला, कलकतिया, कपूरी, रामटेक, मघई, बनारसी आदि उन्नतशील प्रजातियों की खेती पर अनुदान अनुमन्य होगा। विभाग एक समन्वयक की भूमिका निभाते हुये निर्माण कार्य/निवेश की गुणवत्ता के मानक आदि को उपलब्ध कराते हुये उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का उपाय करेगा। लाभार्थी अपनी संतुष्टि के अनुसार सम्बन्धित संस्थाओं से आवश्यक निवेश स्वयं क्रय करेगा।

प्रचार-प्रसार भ्रमण/प्रशिक्षण गोष्ठी-

इस कार्यक्रम की सफलता के लिये आवश्यक है कि कृषकों को पान की खेती की तकनीकी जानकारी के लिये तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाये। तकनीकी जानकारी की सुलभता हेतु कृषकों को तकनीकी साहित्य भी दिया जायेगा। पान की खेती करने वाले कृषकों/लाभार्थियों के प्रक्षेत्रों की फोटोग्राफी अवश्य करायी जाये।

प्रशिक्षण विभागीय शोध केन्द्रों/जनपदों/कृषि विज्ञान केन्द्रों पर जनपदों के चयनित लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण/ गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा जिसमें पान शोध केन्द्रों के वैज्ञानिक, पान विशेषज्ञ, भारत सरकार की संस्थाओं के पान विशेषज्ञों को अवश्य बुलाया जाये। पान की खेती की तकनीकी जानकारी हेतु कृषकों को सुलभ भाषा में तकनीकी साहित्य दी जायेगी।

अनुदान धनराशि का भुगतान

अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से चयनित लाभार्थी/कृषक को उसके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जायेगी।

अनुश्रवण-

1. योजनान्तर्गत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति निर्धारित प्रारुप पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निदेशालय को उपलब्ध करानी होगी, जिससे समय से प्रगति सूचना निदेशालय स्तर से संकलित हो सके एवं उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करायी जा सके। वित्तीय वर्ष के अन्त में प्रगति सूचना भेजते समय लाभार्थी सूची, परफारमेन्स रिपोर्ट बुकलेट फार्म में (लाभार्थी का नाम, पता, फोटोग्राफ, मोबाइल न0 सहित) तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

कार्यक्रम की सफलता के लिये समय-समय पर कृषक प्रक्षेत्रों का निरीक्षण/सत्यापन, लाभार्थी कृषकों द्वारा पान बरेजा निर्माण में लगायी गयी सामग्री निर्धारित मानक की अनुरुपता तथा दिये गये अनुदान की प्रक्रिया आदि का सत्यापन जनपद स्तर पर जिला उद्यान अधिकारी, मण्डल स्तर पर उप निदेशक उद्यान द्वारा नियमित समीक्षा/निरीक्षण किया जायेगा। राज्य स्तर से भी निदेशालय उद्यान लखनऊ अथवा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर सत्यापन/निरीक्षण कार्य किया जायेगा।

पान की खेती हेतु बरेजा निर्माण ***1000*** वर्गमीटर की अनुमानित लागत व देय अनुदान का विवरण

धनराशि-रु***0*** में

क्रम सं0	**सामग्री का नाम**	**मात्रा/ संख्या**	**कुल लागत**	**कृषक अंश**	**देय अनुदान**
1.	बांस न0-1 (05 मी0 लम्बा 05 से0मी0 मोटा वाला)	534 बांस	15486	0	15486
2.	बांस न0-2 (04 मी0 लम्बा 04 से0मी0 मोटा वाला)	400 बांस	9600	0	9600
3.	सनौआ (04 सेमी0 व्यास)	134 बंडल	6700	6700	0
4.	घास (दवाई हेतु 25 सेमी0 व्यास)	40 बंडल	2000	2000	0
5.	गन्ना पत्ती	01 ट्राली	500	500	0
6.	बकोड़ा	06 बंडल	3600	3600	0
7.	सागौन की बल्ली	14 बंडल	8400	8400	0
8.	जी0आई0तार 12 गेज	10 किग्रा0	900	900	0
9.	जी0आई0तार 20 गेज	14 किग्रा0	1190	1190	0
10.	पावर स्प्रेयर मशीन	01	2500	1250	1250
11.	(दवा छिड़काव हेतु)	44 ढोली	16060	8030	8030
12.	पान बेल कटिंग (ढोली)	70 किग्रा	1750	973	777
13.	उर्वरक/खली (किग्रा0)	04 ट्राली	1600	1600	0
14.	तालाब की काली मिट्टी (ट्राली में)	01 सेट	18500	9250	9250
15.	सिंचाई हेतु इंजन	2/3 सेट	9320	4660	4660
16.	अन्य व्यय	-	2800	1400	1400
	(बरेजा निर्माण हेतु एग्रोनेट)		1,00,906	50,453	50,453

वित्तीय वर्ष ***2019.20*** के लिये आर.के.वी.वाई योजनान्तर्गत पान विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु माह वार समय सारिणी

माह	कार्यक्रम
15 नवम्बर तक	योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये वेबसाइट **www.upagriculture.com** पर **ऑन** लाइन पंजीकरण कराना होगा, इसके लिए सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।
सितम्बर से नवम्बर	चयनित लाभार्थियों को निर्धारित शोध केन्द्रों/ औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों / जनपदों/कृषि विज्ञान केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिलाये जाने का कार्य।
	चयनित लाभाथियों द्वारा बरेजा निर्माण।
जनवरी	पौध / कटिंग रोपण का कार्य।
फरवरी	कृषक सूची दूरभाष न0 सहित, फोटोग्राफ, उपयोगिता प्रमाण पत्र, सफलता की कहानी आदि प्रपत्र निदेशालय को उपलब्ध कराना।

वित्तीय वर्ष ***2019.20*** के लिये आर.के.वी.वाई योजनान्तर्गत पान विकास योजना में लाभार्थी चयन हेतु प्रार्थना-पत्र का प्रारुप

फोटो

1	कार्यक्रम का नाम जिसके अन्तर्गत लाभार्थी का चयन किया जाना है-	
2	लाभार्थी/ को-टेनेन्ट्स का नाम-	
3.	पिता का नाम-	
4.	लाभार्थी/ को-टेनेन्ट्स की श्रेणी-	
5.	(सामान्य वर्ग/लघु/सीमान्त/अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति)	
6.	लाभार्थी/ को-टेनेन्ट्स की शेक्षिक योग्यता एवं प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु अनुभव (यदि कोई हो)	
7	गांव का नाम-	
8.	विकास खण्ड का नाम-	
9.	लाभार्थी/ को-टेनेन्ट्स के पास कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल (जो राजस्व अभिलेखों में उसके स्वयं के नाम दर्ज हो)	
10.	कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित क्षेत्रफल (है0 में)	
11.	खसरा संख्या-	
12.	सिंचाई की उपलब्ध सुविधायें-	
13.	लाभार्थी द्वारा वर्तमान में उत्पादित फसलों का विवरण (कृषि फसलें/औद्यानिक फसलें)-	
14		
15	लाभार्थी द्वारा वर्तमान में उत्पादित फसलों का विवरण (फल/शाकभाजी/मसाला एवं उनकी प्रजाति)	

संलग्नक-1 **जोतबही की प्रमाणित फोटोप्रति।** 2. **अनुबन्ध पत्र।**

हस्ताक्षर कृषक

संस्तुति कर्ता

मैने प्रस्तावित कृषक की भूमि का निरीक्षण किया है,
जो.....कार्यक्रम के लिये उपयुक्त है। आवेदन कर्ता के हस्ताक्षर एवं चयन की संस्तुति की जाती हैः-

सम्बन्धित वि0ख0 के उद्यान निरीक्षक के हस्ताक्षर

जिला उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर

वित्तीय वर्ष ***2019.20*** के लिये आर.के.वी.वाई योजनान्तर्गत पान विकास योजना शपथ-पत्र

(रु0 10/-के स्टाम्प पेपर पर)

1. मैं शपथी .....आयु.....वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निवासी- ग्राम.....डाकखाना.....विकास खण्ड..... तहसील.....जनपद.....शपथ पूर्वक निम्न बयान
2. करता हूँ करती हूँ यह की प्रदेश में आर.के.वी.वाई योजना की पान विकास योजनान्तर्गत प्रार्थी एक लाभार्थी है।
3. यह की प्रार्थी योजना के अन्तर्गत लिये गये कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूर्ण लगन एवं ईमानदारी से किया जायेगा तथा क्रियान्वयन हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा। कार्यक्रम हेतु प्राप्त सहायता धनराशि का निर्धारित व स्वीकृति मदां में ही व्यय किया जायेगा।
4. यह की प्रार्थी उक्त कार्य निर्धारित दिशा- निर्देशों के अनुसार सम्पन्न न किये जाने अथवा धनराशि का दुरुपयोग होने की दशा में स्वयं उत्तरदायी होगा।
5. यह कि प्रदेश में आर.के.वी.वाई योजना की पान विकास योजना के दिशा- निर्देशों के अनुरुप कार्य सम्पन्न न होने पर प्राप्त अनुदान की धनराशि प्रार्थी द्वारा वापस की दी जायेगी।
6. यह की प्रार्थी द्वारा अनुदान की धनराशि वापस न करने पर जिलाधिकारी को प्रार्थी की चल-अचल से भू-राजस्व की भांति वसूली का अधिकार होगा।
7. दिनांक..... हस्ताक्षर.....

नाम.....

<u>सत्यापन</u>

मैं शपथी उपरोक्त यह सत्यापित करता हूँ /करती हूँ कि शपथ-पत्र की धारा-1 से 5 तक सत्य एवं सही हैं। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान बनाकर सत्यापित किया।

नाम.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....